पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

लखनऊ : 03 सितम्बर, 2019

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :–

अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 की स्थापना हेतु भूमि हस्तांतरण के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद ने अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, की स्थापना हेतु भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत लखनऊ नगर में चकगंजरियां परियोजना में सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान एवं चिकित्सालय के दक्षिण में 30 मी0 सड़क पर स्थित लखनऊ विकास प्राधिकरण के स्वामित्व वाले 50 एकड़ के क्षेत्र, जिसमें ए0–1 से ए0–21 भूखण्ड, सीनियर लिविंग भूखण्ड, आन्तरिक मार्ग, ग्रीन बेल्ट तथा नर्सरी सम्मिलित है, को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में भौमिक स्वत्वाधिकार सहित हस्तान्तरित किया जाए।

इसके एवज में भूखण्ड संख्या–सी0–21 (20 एकड़) जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय/कार्डियोलॉजी सेन्टर (पी0पी0पी0) हेतु आरक्षित है, को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा विनिमय के रूप में लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्रत्यर्पित किया जाय, जिसमें चिकित्सा विश्वविद्यालय हेतु उपलब्ध करायी जा रही 50 एकड़ भूमि में स्थित 15 एकड़ ग्रीन बेल्ट को भी समायोजित किया जाय तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन आधुनिक मेडिसिटी/सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान की स्थापना हेतु आरक्षित 100 एकड़ भूमि में से 15 एकड़ अप्रयुक्त भूमि को विनिमय के रूप में लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्रत्यर्पित किया जाए।

शेष 15 एकड़ भूमि के एवज में लखनऊ विकास प्राधिकरण की पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के प्रति लम्बित देयता लगभग 680 करोड़ रुपये के सापेक्ष 207.54 करोड़ रुपये की धनराशि का बही समायोजन (Book adjustment) कर लिए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है। तद्नुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा ले–आउट प्लान को नियमानुसार संशोधित किया जाए।

वर्तमान में प्रदेश में 13 राजकीय मेडिकल कॉलेज संचालित है एवं 05 स्वायत्तशासी मेडिकल कॉलेज सोसाइटी के माध्यम से संचालित कर दिए गये हैं। जबकि केन्द्र सहायतित योजना के अन्तर्गत 08 जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की कार्यवाही गतिमान है। जनपद जौनपुर में भी राजकीय मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में कुल 22 निजी मेडिकल कॉलेज एवं 17 निजी डेन्टल कॉलेज संचालित है।

किंग जार्ज चिकित्सा महाविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2002 में विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित होने के उपरान्त राज्य के कई मेडिकल कॉलेज, डेन्टल, नर्सिंग कॉलेज एवं अन्य चिकित्सा पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से है। वर्तमान में अनेक मेडिकल कॉलेज निकटतम् उच्च शिक्षा विभाग के विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध है।

उच्च शिक्षा के सामान्य विश्वविद्यालयों को चिकित्सा क्षेत्र में कोई विशिष्टता नहीं है। इस कारण वह इन संस्थानों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रख पाते। साथ ही, मेडिकल कॉलेजों के पाठ्यक्रमों एवं इनकी परीक्षा के स्तर में एकरूपता नहीं हो पाती है। इस स्थिति में सम्पूर्ण प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रमों व परीक्षाओं में एकरूपता लाए जाने एवं प्रदेश के समस्त मेडिकल कॉलेजों को केन्द्रीयकृत शैक्षणिक मार्गदर्शन तथा उनमें संचालित पाठ्यक्रमों को सम्बद्धता प्रदान किए जाने हेतु 'अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 अधिनियम, 2018' प्रख्यापित किया गया।

————————————

जनपद मुरादाबाद की तहसील कांठ में
बस स्टेशन के निर्माण के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद ने जनपद मुरादाबाद की तहसील कांठ में बस स्टेशन का निर्माण कराये जाने हेतु ग्रामसभा की भूमि के निःशुल्क पुनर्ग्रहण के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। इसके अन्तर्गत मुख्यमंत्री जी की घोषणा से आच्छादित जनपद मुरादाबाद के तहसील कांठ में बस स्टेशन का निर्माण कराये जाने हेतु ग्राम माननगर उर्फ कांठ, परगना व तहसील कांठ में स्थित ग्राम सभा भूमि गाटा संख्या–306/ग/1062 रकवा 0.040 हे0, गाटा संख्या–320/2 रकवा 0.081 हे0 कुल 02 किता रकवा 0.121 हे0 बंजर श्रेणी–5–3ड़/अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि को परिवहन विभाग के पक्ष में व्यापक जनहित के दृष्टिगत निःशुल्क पुनर्ग्रहण किये जाने का प्रस्ताव है। ग्राम सभा की भूमि के पुनर्ग्रहण सम्बन्धी आदेश यथासमय राजस्व विभाग द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

————————

उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद के वर्तमान सत्र का सत्रावसान

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश विधान सभा एवं विधान परिषद के वर्तमान सत्र का सत्रावसान तात्कालिक प्रभाव से करा दिये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद का वर्तमान सत्र दिनांक 18 जुलाई, 2019 को आहूत किया गया था। इस सत्र में विधान सभा एवं विधान परिषद की बैठकें दिनांक 26 जुलाई, 2019 के उपवेशन के पश्चात अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गयी है। इस सत्र में विधान सभा/विधान परिषद के 7–7 उपवेशन हुए।

वर्तमान सत्र में वित्तीय वर्ष 2019–2020 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण विधान मण्डल में प्रस्तुत किया गया तथा इससे सम्बन्धित विनियोग विधेयक दोनों सदनों से पारित कराया गया। विधान मण्डल का वर्तमान सत्र आहूत किये जाने से पूर्व 04 अध्यादेश प्रख्यापित किये गये थे। इन अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक विधान मण्डल के दोनों सदनों से पारित हो गये हैं। विधान मण्डल के वर्तमान सत्र में 09 नये विधेयक विधान सभा में पुरःस्थापित कराये गये, जो दोनों सदनों से पारित हो गये हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018 में विधान मण्डल के दोनों सदनों से पारित 01 विधेयक संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल द्वारा प्रेषित संदेश के अनुक्रम में विधान मण्डल के दोनों सदनों से वापस लिया गया। वर्तमान में विधान मण्डल से कोई कार्य कराया जाना शेष नहीं है।

————————

'पंचम राज्य वित्त आयोग' की संस्तुतियों पर विचार–विमर्श कर संस्तुति देने हेतु 'मंत्रिपरिषद की उपसमिति' का पुनर्गठन किये जाने के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद ने 'पंचम राज्य वित्त आयोग' की संस्तुतियों पर विचार–विमर्श कर संस्तुति देने हेतु 'मंत्रिपरिषद की उपसमिति' का पुनर्गठन किये जाने का निर्णय लिया है।

मंत्रिपरिषद की बैठक के उपरान्त आज यहां लोकभवन में प्रेस ब्रीफिंग में ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि श्री सुरेश कुमार खन्ना मंत्री वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, श्री आशुतोष टण्डन मंत्री नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी मंत्री पंचायतीराज एवं श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह (मोती सिंह) मंत्री ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास पुनर्गठित 'मंत्रिपरिषद की उपसमिति' के सदस्य होंगे।

ज्ञातव्य है कि मंत्रिपरिषद की 8 जनवरी, 2019 की बैठक में 'पंचम राज्य वित्त आयोग' की संस्तुतियों पर विचार–विमर्श कर शीघ्र संस्तुति देने हेतु मंत्रिपरिषद की उपसमिति के गठन का निर्णय लिया गया था। राज्य सरकार द्वारा 21 अगस्त, 2019 को मंत्रिपरिषद के विस्तार के उपरान्त मंत्रिगण के विभागों में परिवर्तन हुआ है। इसलिए उपसमिति का पुनर्गठन आवश्यक हो गया है।

————————————

विभिन्न विभागों/निगमों/उपक्रमों/परिषदों/आयोगों/संस्थाओं में नियुक्त गैर सरकारी मा0 उपाध्यक्षगण को आवासीय भत्ता अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के विभिन्न विभागों/निगमों/उपक्रमों/परिषदों/आयोगों/संस्थाओं में नियुक्त गैर सरकारी माननीय उपाध्यक्षगण को भी माननीय अध्यक्षगण एवं माननीय सलाहकारगण को अनुमन्य दर पर आवासीय भत्ता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया है।

ज्ञातव्य है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों/निगमों/उपक्रमों/परिषदों/आयोगों/संस्थाओं में गैर सरकारी मा0 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य एवं मा0 सलाहकार के रूप में नियुक्त महानुभावों को शासनादेश संख्या–4/जी–2–144/दस–2014–1 (विविध)/दस–2014, दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 द्वारा मानदेय, भत्ते एवं अन्य सुविधाएं अनुमन्य की गयी हैं। इस शासनादेश द्वारा अनुमन्य सुविधाओं में से आवासीय भत्ता केवल गैर सरकारी मा0 अध्यक्षगण व सलाहकारगण को ही अनुमन्य है।

———————————

PN-CM-Cabinet Decisions-03 September, 2019